51

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1940–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 05–05–2014 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी,गोहद जिला भिण्ड – प्रकरण कमांक 37/213–14 अपील

श्रीमती हरजिन्दर कौर पुत्री स्व0लाभ सिंह
पत्नि आधार सिंह, ग्राम चक रायतपुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

1– हरचरण पुत्र लाभ सिंह
ग्राम शंकरपुर तहसील गोहद
2– कुलबंत सिंह (मृतक) पुत्र लाभसिंह
वरिस
1. श्रीमती सम्पूरन पत्नि स्व.कुलबंत सिंह
2. रक्षपाल सिंह
3. प्रभजीत सिंह
पुत्रगण स्व.कुलबंत सिंह
4. सर्वजीत कौर पुत्री कुलबंत सिंह
5. मनप्रीत कौर पुत्री कुलबंत सिंह
6. राजदीप कौर पुत्री कुलबंत सिंह

सभी निवासीगण ग्राम जिकसोली टीलकापुरा
तहसील व जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश –– अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक 1 के अभिभाषक श्री अजय शर्मा)
(अनावेदक 2,3 की ओर से श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 8 – 6 –2016 को पारित)

यह अपील अनुविभागीय अधिकारी,गोहद जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 37/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 05–05–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16 अगस्त 1999 के आधार पर नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद ने प्रकरण क्रमांक 5 अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनॉक 14-3-2001 से क्रेता श्रीमती हरज़िन्दर कौर पुत्री स्व0लाभ सिंह पत्नि आधार सिंह का ग्राम शॅकरपुर की (नायव तहसीलदार के आदेश के पद 3 में वर्णित भूमि) पर नामान्तरण स्वीकार किया गया, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अपील क्रमांक 73/2001 में पारित आदेश दिनांक 29-1-2001 के प्रभावशील होने से शासकीय अभिलेख में अमल न कराने का नायव भी निर्णय लिया। तदुपरांत प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचारित रहा।

वरिष्ठ न्यायालयों से प्रकरण निराकरण होने के उपरांत तहसीलदार गोहद के न्यायायालय में वापिस आने पर नवीन क्रमांक 18 अ-6/2012-13 पर पंजीबद्ध किया गया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 3-2-14 पारित करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" माननीय आयुक्त महोदय व्दारा प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय ए0डी0जे0 व्दारा निराकरण कर दिया गया है। अतः पूर्व में पारित आदेश प्र0क0 4 अ-6/2000-01, 5 अ-6/2000-01 के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत किये जाते हैं । अपर आयुक्त महोदय को प्रेषित प्रतिवेदन आदेश का हिस्सा रहेगा। पटवारी, कम्प्यूटर को अमल हेतु पत्र जारी हो। "

तहसीलदार गोहद के आदेश दिनांक 3-2-14 के विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 37/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 05-05-2014 से लिये गये निर्णय का अॅश उद्धरण इस प्रकार है :-

" माननीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड व्दारा पारित निर्णय दिनांक 28-2-14 के विरूद्ध प्रथम अपील माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में की गई है जिसका प्रकरण कमांक 47/14 पर पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।

" आर0एन01984 रा.नि. 407 श्री श.म.जाम्बोलकर सदस्य तपेश्वर सिंह वि. शुक्लुराम तथा अन्य में आदेश पारित किया गया है कि सिविल न्यायालय की डिक्री के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील लम्बित । उच्च न्यायालय के निर्णय तक नामान्तरण कार्यवाही स्थगित रखना चाहिये। उक्त दृष्टांत इस प्रकरण मे लागू होता है। अतः तहसीलदार गोहद व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 3-2-14 माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण तक स्थगित रखा जाता है तथा यह भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण तक स्थगित रखा जाता है। "

अनुविभागीय अधिकारी गोहद के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से देखना यह है कि

अनुविभागीय अधिकारी गोहद व्दारा आदेश दिनांक 5-5-14 में निकाले गये निष्कर्ष अनुसार क्या व्यवहार न्यायालयों में स्वत्व का वाद विचारित रहने से राजस्व न्यायालयों में नामान्तरण की कार्यवाही को रोके रखा जाय अथवा नहीं ?

जयसिंह बनाम यूनियन आफ इडिया A I R 1977 (1) सु0को0 898 में निर्णीत किया गया है Two parallel remedies can not be persued at the same time by the same person, regarding the same matter in issue . It has been held.

अर्थात दो समानान्तर सहायतायें , एक ही समय में, एक ही व्यक्ति व्दारा, एक ही विषय वस्तु के बारे में नहीं चाही जा सकती। इन्हीं कारणों से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 5-5-14 में निकाले गये निष्कर्ष में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी गोहद व्दारा प्रकरण कमांक 37/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-14 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर